न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार . आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 04 / 2024

उनवान

माया नेक्स्ट स्पेशेलिटीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक बेअन्तराय सिंह पुत्र पुरूषोत्तम लाल, हाल निवासी किशनगढ़ रोड मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– वादी

बनाम

नाथूचन्द पुत्र छोटू जाति गुर्जर

रामलाल पुत्र सरदारमल जाति गुर्जर

हरिनारायण पुत्र रामदेव जाति अहीर (यादव)

सरदारमल पुत्र छोटूराम जाति गुर्जर

समस्त वयस्क, निवासीयान ग्राम प्रतापपुरा मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय / मनोहरपुर / शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज0)।

राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :–08.02.2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 1.1000 ...ल किता–1 कुल रकबा 1.1000 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला ... में स्थित है, जिसके 3737 / 11000 भाग की खातेदारी वादी के नाम तथा व ...1375 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम तथा 327 / 1000 भाग की ...री प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तथा 5 / 44 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 3 के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हाल आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम ...पुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में 1 / 2 हिस्सा ...के नाम व 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त व... ...का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा... ...ल की सहखातेदारी भूमि है जिसका आज तक कोई कानूनी बंटवारा न... ...तिवादीगण उपरोक्त भूमि को अपने अपने हिस्से हिस्सों के अनुसार ...

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

लेत व पृथक–पृथक रूप से काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करते हे है व राज लगान अदा करते आ रहे है। वादी के हिस्से कब्जे की भूमि से प्रतिवादीगण न्य किसी का किसी प्रकार का कोई संबंध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एवं न ही न में है।

प्रतिवादीगण एक संगठित ताकतवर व झगडालू प्रवृति के व राजनैतिक पहूंच वाले न व भूजवाले व्यक्ति है जिन्होने वादी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करना व भूमि में किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व बिना कानूनी बंटवारा कराये पुख्ता निर्माण कार्य चाहते है, जिसकी उन्होंने वादी को कुछ दिन पूर्व धमकी दी। वादी ने प्रतिवादीगण को क्त भूमि का मौके पर काबिज काश्त के अनुसार कानूनी बंटवारा कराने व उसका राज निर्धारण करवाने हेतु कहा तो उससे भी प्रतिवादीगण इनकार हो गये बल्कि वादी को कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने व बिना बंटवारा कराये विशिष्ट भू–भाग ख्ता निर्माण कार्य करने व भूमि को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व ा स्थानान्तरण डीड प्रतिवादीगण संख्या – 5 के कार्यालय से पंजीकरण करवाने की दी इसलिये वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक

यह कि यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया प्रश्नगत भूमि से वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व कानूनी बंटवारा कराये आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करने व अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व उसका स्थानान्तरण डीड प्रतिवादी संख्या – 5 के लय में पंजीकरण करवाने व प्रतिवादी–6 से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने में सफल वेगे जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं ा सकेगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ा नंबर 80 रकबा 1.1000 है कुल किता – 1 कुल रकबा 1.1000 है0, वाकै ग्राम पुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयुपर एवं हाल आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 0.02 है0 ग्राम प्रतापपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत मध्य उनके हिस्सों के अनुसार राजस्व मण्डल के नियमों के अनुसार व मौके पर काबिज के अनुसार कानूनी बंटवारा कराया जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारित किया जिसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में कराया जाकर वादी के पृथक से खातेदरी दर्ज कराई जावे, तथा बंटवारे में आयी भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नों व अन्य परिवारजन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञाय दैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की ज़मत पैदा नहीं करे बल्कि वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने तिवादीगण उपरोक्त भूमि या इसके किसी भाग से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे न प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, एवं न ही उक्त भूमि या इसके किसी भाग को

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

्रय हस्तान्तरण ही करे, न किसी स्थानान्तरण डीड का पंजीकरण करावे, तथा मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये वादीगण की तामिल होने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये। अतः दिनांक 24 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ो तथा वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिंक डिक्री कर बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु निवेदन किया। प्रकरण को दिनांक 18.01.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/528 दिनांक 24 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वकील वादी को सुना गया। ादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है । अतः दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट ार पर ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.1000 ं आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1200 है0 भूमि क्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :-

1. **गाव्या मिल्क स्पेशिलिटीज प्रा0 लि0 निदेशक बेअतराय सिंह पुत्र पुरूषोत्तम लाल हिस्सा पूर्ण के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 0.0200 है0, 80/3 रकबा 0.3637 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3837 है0 भूमि रहेगी।**
2. **मालीराम पुत्र छोटूराम हिस्सा 2416/7363, रंगलाल पुत्र सरदारमल हिस्सा 3597/7363, हरिनारायण पुत्र रामदेव हिस्सा 1250/7363, सरदारमल पुत्र छोटूराम हिस्सा 100/7363 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.7363 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7363 है0 भूमि रहेगी।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय ुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार ुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08-02-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 04 / 2024

उनवान

1. गाव्या मिल्क स्पेशिलिटीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक बेअतराय सिंह पुत्र पुरूषोत्तम लाल, हाल निवासी बिशनगढ़ रोड़ मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– वादी

बनाम

1. मालचन्द पुत्र छोटू, जाति गुर्जर,
2. रंगलाल पुत्र सरदारमल जाति गुर्जर
3. हरिनारायण पुत्र रामदेव जाति अहीर (यादव)
4. सरदारमल पुत्र छोटूराम जाति गुर्जर
   समस्त व्यस्क, निवासीयान ग्राम प्रतापपुरा मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।
5. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय/मनोहरपुर/शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज0)।
6. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 08.02.2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.1000 है0 आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1200 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. **गाव्या मिल्क स्पेशिलिटीज प्रा0 लि0 निदेशक बेअतराय सिंह पुत्र पुरूषोत्तम लाल हिस्सा पूर्ण के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 0.0200 है0, 80/3 रकबा 0.3637 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3837 है0 भूमि रहेगी।**
2. **मालीराम पुत्र छोटूराम हिस्सा 2416/7363, रंगलाल पुत्र सरदारमल हिस्सा 3597/7363, हरिनारायण पुत्र रामदेव हिस्सा 1250/7363, सरदारमल पुत्र छोटूराम हिस्सा 100/7363 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.7363 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7363 है0 भूमि रहेगी।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज होगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई

सहायक कलक्टर
(जिला-जयपुर) राज.

ज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की त पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड ल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
पत्र के लिए स्टाम्प त पत्र के लिए स्टाम्प र्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की क्षियों के लिए निर्वाह – व्यय मिश्नर की फीस देशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	